तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रसन्नचन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 28/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-03-2022	अपीलार्थी प्रसन्नचन्द ओस्तवाल, निवासी 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor Sowcarpet, Chennai-600079 द्वारा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.10.2021 में उसके द्वारा (1) श्री जैन रत्न सैकण्डरी स्कूल भोपालगढ के ख.नं. 952 में काबिज श्री बाबूलाल व श्रीमती विमला से भूमि किमत, किराया, लीज चार्ज या अन्य शीर्षक में तहसीलदार कार्यालय भोपालगढ द्वारा प्राप्त की गई की विधिक रसीदों का विवरण व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 75 दिनांक 24.02..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन में 8 बिन्दुओं से संबंधित सूचना चाही थी जो देय नहीं होने से इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/2022/70 दिनांक 18.02.22 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को बिन्दुवार अवगत करा दिया गया है। चूंकि लोक सूचना की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दुवार अवगत करा दिया गया, परन्तु अत्यधिक विलम्ब से सूचित किया गया, जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करें। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत् बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। यदि इस आदेश से व्यथित है तो द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को करने का प्रावधान है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:18:42 IST
Reason: SelfAttested